राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 131 / 18

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 12.03.2019 **निर्णय दिनांक : 10.04.2019**

राजस्थान सरकार बनाम कमल कुमार, बिजेश कुमार पिता जमनलाल जाति नायक नि0 पांचवा

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कमल कुमार, बिजेश कुमार पिता जमनलाल जाति नायक निवासी पांचव ने ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 284 कुल रकबा 10.57 हैक्टेयर में से रकबा 0.0280 हैक्टर किस्म गै.मु. गौचर भूमि पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से पक्का मकान मय चारदिवारी कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की प्रति गैर सायलान के घर पर चस्पा की गयी। गैर सायलान उपस्थित हुये तथा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

गैर सायलान द्वारा कोई जवाब एवं कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि गैर सायलान ने जानबूझकर गै. मु. गौचर भूमि पर अतिकमण किया है ।

गैर सायलान को प्रश्नगत भूमि पर अतिकमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, की डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153 / 2011 सोमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 11.03.2019 की पालना में ग्राम पांचवा के आराजी राज खसरा नम्बर 284 कुल रकबा 10.57 हैक्टेयर गै. मु. गौचर भूमि में से रकबा 0.0280

तहसीलदार कुचामन
जिला- नागौर

हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायलान पर लगान 0.14 का पच्चास गुणा से राशि 7/– अक्षरे सात रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को गैर सायलान को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
तहसीलदार कुचामन
जिला- नागौर

माँग कायमी रा.ले.स.-4
पृष्ठ संख्या 34
वर्ष 20-21
रा.जुर्माना –
क.निलामी –
गोचर जुर्माना 07
प्रा.पैदावार
तराले कुचामन सिटी